पांच वाहन चोर गिरफ्तार, 5 मोटरसाइकिलें बरामद

इन्दौर, 16 अगस्त. भंवरकुआं पुलिस ने पांच वाहन चोरों को 5 चोरी की मोटर सायकलों सहित पकड़ा है. आरोपियों ने अन्य वारदातों के संबंध में भी पूछताछ की जा रही है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार भंवरकुआ पुलिस की टीम ने बीट भ्रमण के दौरान मुखबिर की सूचना पर आरोपी प्रकाश पिता गणेश तंवर (20) निवासी एकता नगर, राहुल पिता प्रहलाद सोलंकी (23) निवासी एकता नगर के कब्जे से थाना भंवरकुंआ के प्रकरण में चोरी गई मोटर सायकल होण्डा ड्रीम युवा एमपी-09/एनटी-0859 जप्त की. आरोपी लोकेश उर्फ गोलू पिता गुलाब सिंह (21) निवासी एकता नगर, अजय उर्फ अज्जू पिता रमेश सोलंकी (20) निवासी एकता नगर के कब्जे से थाना भँवरकुआ के प्रकरण में चोरी गई एक हीरो होण्डा मोटर सायकल सीबीजेड स्ट्रीम नं. एमपी-09-एनबी-8805 जप्त की. इसी प्रकार चेकिंग के दौरान एक अन्य आरोपी साजिद शाह पिता खाजू शाह उम्र 19 साल निवासी ग्राम सियापुरा देवास से गाड़ी के कागजात के संबंध में पूछने पर गाडी के कागजात नहीं होने से पूछताछ करने पर मोटर सायकल चोरी की होना बताया. उससे अन्य वाहनो के संबंध में पूछने पर कुल 3 मोटर सायकल जिसमें से एक मोटर सायकल थाना ठीकरी जिला बडवानी, एक मोटर सायकल थाना रावजी बाजार इन्दौर व एक मोटर सायकल थाना एमआयजी क्षेत्र से चोरी करना बताये जाने पर उक्त 3 मोटर सायकल जप्त की गई है. इस तरह पुलिस थाना भंवरकुआ द्वारा उक्त पांच वाहन चोरों को गिरफ्तार कर, इनसे 1,49,000 /- रू. मूल्य की 5 मोटर सायकलें जप्त की गयी है. पुलिस द्वारा पांचो आरोपियो से अन्य चोरी के वाहनो व वारदातों के संबंध में पूछताछ की जा रही है. उक्त वाहन चोरों को पकड़ने में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी भंवरकुआं शिवपाल सिंह कुशवाह, सउनि सुरेश पटलिया, प्र.आर.2693 मनोज पाण्डेय तथा उनकी टीम की सराहनीय भूमिका रही।

शातिर वाहन चोर भी पकड़ाया, तीन वाहन बरामद

छत्रीपुरा पुलिस ने एक शातिर वाहन चोर को चोरी के तीन वाहनों सहित पकड़ा है. थाना प्रभारी छत्रीपुरा सुनील सेजवार की टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि अर्जूनपुरा मल्टी से चोरी गयी मोटरसायकल एमपी-09-एमएल-8382 को एक व्यक्ति बियाबानी पान की दुकान पास लेकर खड़ा है. इस सूचना पर छत्रीपुरा पुलिस टीम ने घेराबंदी कर संदिग्ध अमित पिता मुकेश परदेशी (19) निवासी छत्रीबाग को पकड़ा. उससे चोरी गयी मोटरसायकल को बरामद किया गया. पकड़े गये बदमाश से कड़ी पूछताछ करने पर उसने थाने के एक प्रकरण में समाजवादनगर से चोरी गयी एक्टीवा क्रं. एमपी-09-यूए-6975 को चोरी करके, उसकी नम्बर प्लेट बदल कर नम्बर एमपी09-यू-6972 करना बताया. उसे भी बरामद किया है, आरोपी के कब्जे से रंजीत हनुमान मंदिर पार्किंग से चोरी की गयी एक्टीवा न. एमपी-09-एसजे-1214 को भी बरामद किया है. उक्त बदमाश एक शातिर अपराधी है और लगातार वाहन चोरी कर रहा था.

उससे चोरी गये कुल तीन वाहन बरामद किये गये है. पुलिस द्वारा आरोपी से अन्य वारदातों के संबंध में भी पूछताछ की जा रही है. उक्त शातिर वाहन चोर को पकड़ने में वरिष्ठ अधिकारियो के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी छत्रीपुरा सुनील सेजवार के नेतृत्व में सउनि बीएस तोमर, प्रआर. रामशरण सोनकर, आर. राजेश मिश्रा,आर. ईश्वर शेखावत तथा आर. सुभाष राठौर की सराहनीय भूमिका रही.

नकली पुलिस फिर सक्रिय, दो लोगों को ठगा

इंदौर, 16 अगस्त. शहर में नकली पुलिस ने एक बार सक्रिय हो गई है और वारदात को अंजाम दे रही है. इस बार परदेशीपुरा में एक पार्लर संचालक इनका शिकार हो गया. वहीं पलासिया में भी नकली क्राइम ब्रांच के अफसर बनाकर रिटायर्ड नगर निगम कर्मचारी के साथ भी ठगी की वारदात कर डाली. दोनों ही स्थान पर बदमाश चेन और अंगूठी लेकर फरार हो गए.

पुलिस के अनुसार किशनलाल पिता रतनलाल भाटिया(65) निवासी मंगलनगर ने बताया कि वह अपनी दुकान से लघुशंका करने के लिए जा रहे थे, रास्ते में उसे दो व्यक्ति मिले। दोनों ने अपने आप को पुलिस बताकर देर रात वहां पर वारदात होने की बात बताई और घड़ी और सोने की चेन को सुरक्षित रखने के लिए कहा. इस पर वे रूमाल में चेन,अंगूठी बांधने लगे.

वारदात का डर बता ले उड़े जेवरात

एक बदमाश ने उनकी मदद के बहाने सामान लिया और रूमाल में बांधने का नाटक करने लगा. उसने रूमाल,दवाइंया और चेन, अंगूठी उन्हें बाधंकर दे दी. जब दुकान पर पहुंचे तो बाकी सामान तो था लेकिन जेवर गायब थे. बदमाशों ने रूमाल में बांधने के दौरान जेवर गायब कर दिए. बदमाशों द्वारा ठगी गई चेन एक तोले के करीबन बताई जा रही है. पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और कार्रवाई कर रही है.

रिटायर्ड कर्मचारी को बनाया निशाना

दूसरी वारदात पलासिया थाना क्षेत्र में हुई. देवनगर में रहने वाले प्रकाश पिता आबाजी सिरसेवाल ने बताया कि वह नगर निगम के रिटायर्ड कर्मचारी है. वह अपने काम से जा रहे थे। पलासिया में उन्हें एक बदमाश ने रोका और अपने आप को क्राइम ब्रांच का जवान बताकर एक ओर ले गया। वंहा पर पहले से ही एक अन्य व्यक्ति बैठा था। उसने अपने आप को अफसर बताते हुए डांटा की यहा पर हत्या हो गई है और आप जेवर पहनकर घूम रहे हैं। उसने चेन और अंगूठी निकालकर अपने पास रखने के लिए कहा. इस पर उन्होनें चेन निकालकर अपनी जेब में रख ली लेकिन बदमाश ने उसे जेब से निकाल ली और पुड़िया बनाकर देने के बात कही।इसके बाद एक पुड़िया बनाकर दे दी. जब आगे जाकर देखा तो पता चला कि उसमें रखी सोने की चेन,पेंडल और अंगूठी गायब थी.

राष्ट्रीय अंटार्कटिक एवं समुद्री अनुसंधान केन्द्र

(पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार)
हेडलैंड सडा, वास्को-द-गामा, गोवा-403 804. भारत
फोन : +91-832-2525530/2525523 फैक्स : 0091-832-2520877

एक कदम स्वच्छता की ओर

वैश्विक निविदा

निविदा क्र. : एनसीएओआर/एलएच(20)/2017(2)

निदेशक, एनसीएओआर द्वारा प्रयोगात्मक अवधि के साथ 15 नवंबर 2017 से 31 दिसंबर 2019 (एनसीएओआर द्वारा मूल्यांकन अनुसार संचालन, अनुरक्षण तथा मरम्मत के संतोषजनक निष्पादन पर अधिकतम 2 वर्षों के लिये वार्षिक रूप से विस्तारयोग्य) के 2 वर्षों के लिये लारसेमन हिल्स, अंटार्कटिका में भारती-इंडियन रिसर्च स्टेशन के लिये ऑनसाइट संचालन, गैर-व्यापक अनुरक्षण तथा मरम्मत ठेका हेतु दो बोली प्रणाली (लिफाफा I- तकनीकी बोली तथा लिफाफा II -मूल्य बोली) के अंतर्गत मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है.

इच्छुक बोलीकर्ता www.ncaor.gov.in अथवा https://eprocure.gov.in/cppp से निविदा कागजात डाउनलोड कर सकते हैं. पूर्ण बोली जमा करने की अंतिम तिथि सोमवार, 04 सितंबर 2017 को 15.00 बजे भामास तक है.

विज्ञा. क्र. : एनसीएओआर/59/17

बेटे ने पिता को मारा चाकू नसीहत देने से था नाराज

इंदौर. एक पिता ने अपने बेटे व बहू को नसीहत दी कि सुबह जल्दी उठ जाया करो, तो इतनी सी बात पर मतकमाऊ बेटे ने तैश में आकर पिता को चाकू से गोद डाला. प्राप्त जानकारी के अनुसार जानलेवा हमले की ये घटना कल शाम लसूडिया मोरी में हुई. वहां रहने वाले रामबक्श पिता बद्रीलाल (45) को कल रात गंभीर रूप से घायल अवस्था में एमवाय अस्पताल में भर्ती किया गया, उसके शरीर पर चाकू से 3-4 वार किए गए थे. सूचना मिलने पर पहुंची लसूडिया पुलिस को घायल रामबक्श ने बताया कि उसके पुत्र पवन ने घर में ही उस पर हमला किया था। घायल ने पवन व उसकी पत्नी को रोज सुबह जल्दी उठकर घर के काम करने को कहा था, इस बात को लेकर विवाद होने के बाद पवन ने पिता के साथ मारपीट करते हुए चाकू से कई वार किए फिर धमकी देते हुए घर से भाग खड़ा हुआ था.

महिला पुलिस ने चलाया मजनूं अभियान

इंदौर, 16 अगस्त. शहर में महिलाओं, बालिकाओं और छात्राओं की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए डीआईजी हरिनारायणचारी मिश्र के मार्गदर्शन व पुलिस अधीक्षक मुख्यालय युसूफ कुरैशी के निर्देशन में बालिकाओं की उपस्थिति वाले स्थानों, कॉलेजों आदि पर अनावश्यक रूप से पाये जाने वाले असामाजिक तत्वो के विरुद्ध महिला थाने की टीम द्वारा मजनू अभियान चलाया गया।

इस अभियानअंतर्गत आर्ट्स व कॉमर्स कॉलेज, डीएवीवी तक्षशिला परिसर, गुरु गोविंद सिंह कॉलेज, अरिहंत कॉलेज, होलकर कॉलेज पर इस अभियान के तहत 15 से ज्यादा अवांछनीय तत्वों, मजनुओं को चैक किया. जिनके पास उस कॉलेज का परिचय पत्र नहीं मिला और ना ही वहां उपस्थित रहने का उचित कारण बता पाए उन्हें टीम द्वारा उचित समझाइश व नसीहत देकर मौके से छोड़ा गया. इंदौर पुलिस का यह मजनू अभियान आगे भी कॉलेज/स्कूल आदि स्थान बदल कर अनवरत जारी रहेगा. इस अभियान में महिला थाने की थाना प्रभारी ज्योति शर्मा के नेतृत्व में उनि टीना शुक्ला , सउनि सुधा , आर. मालती , आर.गोलू , आर.रानू व महिला थाने तथा महिला पीसीआर की टीम द्वारा कार्रवाई की गई.

नौ साल से फरार आरोपी पकड़ाया

इन्दौर, 16 अगस्त. क्राइम ब्रांच की टीम ने नौ साल से फरार एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है. फरारी के दौरान वह कलेक्शन का काम कर रहा था. क्राईम ब्रांच की टीम को सूचना तंत्र के माध्यम से खबर मिली थी कि थाना बाणगंगा एवं पलासिया क्षेत्र से विभिन्न अपराधों में विगत कई सालों से फरार चल रहा आरोपी वीरेन्द्र सिंह पिता चैनसिंह ठाकुर (40), शहर में ही घूम रहा है. उक्त सूचना पर कार्यवाही करने हेतु क्राईम ब्रांच की टीम को निर्देशित किया गया था, आरोपी की पतारसी दौरान पता चला कि वह थाना बाणगंगा के एक अपराध में 9 वर्षों से फरार चल रहा है, जिसकी गिरफ्तारी हेतु माननीय जिला न्यायालय इंदौर द्वारा उसका स्थायी व फरारी वारण्ट जारी किया गया है. उक्त प्रकरण के आरोपी की पतासाजी कर आरोपी वीरेन्द्र सिंह पिता चैनसिंह ठाकुर (40)साल निवासी सूरज नगर को घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिसे अग्रिम वैधानिक कार्यवाही हेतु थाना बाणगंगा के सुपुर्द किया गया है. पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर आरोपी ने स्वयं को 2008 से फरार बताया. फरारी के दौरान आरोपी टी.डी.एस. कंपनी भवरकुआ में ही कलेक्शन का काम कर रहा था. आरोपी वीरेन्द्र सिंह मूलत: कुम्हारखाडी बाणगंगा का रहने वाला है, जो वर्तमान मे सूरज नगर में किराये के मकान में निवास कर रहा था. आरोपी ने बताया कि वह सन् 1994 में थाना पलासिया में वाहन चोरी के आरोप में पकडा गया था जिसमें जेल भी गया था.

नई नीति का विरोध करने कलेक्टर कार्यालय पहुंचे रेत व्यापारी

इंदौर, 16 अगस्त. मध्य प्रदेश सरकार की नई रेत नीति को लेकर रेत व्यापारियों का संघर्ष व विरोध बढ़ता ही जा रहा है. पिछले दिनों प्रभारी मंत्री के समक्ष अपना पुरजोर विरोध दर्ज कराने के बाद आज व्यापारी बड़ी संख्या में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे. जहां एसडीएम श्रृंगार श्रीवास्तव को दिए गए ज्ञापन में मांग की गई थी प्रदेश सरकार जो नई नीति लाना चाहती है वह पूर्ण तरह अव्यवहारिक वह प्रदेश के हजारों व्यापारियों, ट्रक मालिकों वह इस व्यापार से जुड़े लोगों को बड़ी संख्या में बेरोजगार करेगी.

डीपो के माध्यम से ऑनलाइन रेट बुकिंग का सिस्टम का विरोध करते हुए व्यापारियों की ओर से मनीष अजमेरा ने एसडीएम के समक्ष रेत की क्वालिटी से लेकर ऑन लाईन बुकिंग के गलत इस्तेमाल और काला बाजारी बढ़ने की बात कही. अजमेरा ने कहा कि सरकार नर्मदा से रेत खनन पर से प्रतिबंध शीघ्र हटाये, जिससे कि रेत के दाम कम हो सकें. ओवर लोडिंग और अवैध खनन को रोकने के लिए सरकार खुद व्यापारी बनने के बजाय अपने तंत्र में कसावट लाए. पहले ही नोट बन्दी, जीएसटी और रेरा के चलते निर्माण उद्योग नेस्तनाबूत हो गया है. जिसके चलते बेरोजगारी व्यापक रूप से बढ़ रही है। प्रायवेट कन्स्ट्रक्शन 10 प्रतिशत भी नहीं रह गया है। ऐसे में रेत का सर्वाधिक इस्तेमाल सरकारी प्रोजेक्ट में ही हो रहा है.. कलेक्टर से मांग की गई कि शासन को आपके द्वारा दिए जाने वाले सुझाव में जनहित व व्यापारियों के हित को दृष्टिगत रख कर सरकार को जन भावना से अवगत कराएं. ज्ञापन का वाचन मनीष अजमेरा ने किया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से मोहन शर्मा, सुनील मीणा, जयसिंह, गोल्डी सहित बड़ी संख्या में व्यापारी उपस्थित थे। एसडीएम श्रृंगार श्रीवास्तव ने व्यापारियों की बातों को ध्यान से सुना व आश्वस्त किया कि वे शासन तक व्यापारियों का पक्ष पहुचायेंगे.

SITA SHREE FOOD PRODUCTS LIMITED

(A Star Export House) CIN: L15314MP1996PLC010741
Registered Office: 332/4/2, R.D. Udyog Nagar, Nemawar Road, Palda, Indore (M.P.)
Phone: + 91-731- 2439901, 902 ,912, 920, 926, Fax +91-731-4068448
E-mail: info@sitashri.com, Website: www.sitashri.com

EXTRACT FROM THE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2017

(Rs. In Lacs)

S. No.	Particulars	Quarter Ended 30-06-2017 (Un-Audited)	Year to date Figures 30-06-2017 (Un-Audited)	Previous year Ended 31-03-2017 (Audited)	Quarter ended 30-06-2016 (Un-Audited)
1	Total income from operations	249.59	249.59	14,827.48	4,988.17
2	Net Profit / (Loss) for the period(before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items#)	(1,009.66)	(1,009.66)	(17,657.94)	(1,669.83)
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	(1,009.66)	(1,009.66)	(17,657.94)	(1,669.83)
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	(1,011.47)	(1,011.47)	(17,713.60)	(1,685.38)
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	(1,011.47)	(1,011.47)	(17,713.60)	(1,683.96)
6	Equity Share Capital	2,783.42	2,783.42	2,783.42	2,783.42
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of previous year	(15,206.28)	(15,206.28)	(14,194.81)	1,782.58
8	Earnings Per Share (EPS) (for continuing and discontinued operations)- (before and after extraordinary items) (of ` 10/- each)				
	Basic :	(3.63)	(3.63)	(63.64)	(6.06)
	Diluted :	(3.63)	(3.63)	(63.64)	(6.06)

Notes:
1) The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 14th August, 2017.
2) The above results have been reviewed by the statutory auditors of the company as prescribed under the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulations, 2015
3) This Statement has been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (Ind AS), prescribed u/s 133 of the Companies Act, 2013 and other recognised accounting practices and policies to the extent applicable. Beginning 01-Apr-2016 the Company has for the first time adopted Ind AS with a transition date of 01-Apr-2015.
4) The format for Unaudited Quarterly Results as prescribed in SEBI's circular CIR/CFD/CMD/15/2015 dated 30-Nov-2015 has been modified to comply with requirements of SEBI's circular dated 05-Jul-2016, Ind AS and Schedule III (Division II) to the Companies Act, 2013 applicable to Companies that are required to comply with Ind AS.
5) The previous year/ Quarter figures have been regrouped/reclassified wherever required.
6) The IND AS compliant figures of the corresponding quarter of the previous year have not been subjected to limited review or an audit. However management has exercised necessary due dilligence to ensure that such financial results provide a true and fair view of its affairs.
7) The Company has identified reportable business segments namely Flour', 'Soya' and 'Real estate', results of which are produced separately.
8) The aforesaid Unaudited Financial results will be uploaded on the Company's website www.sitashri.com and will also be available on the website of the National Stock Exchange of India Limited www.nseindia.com and BSE Limited www.bseindia.com for the benefit of shareholders and investors.
9) Reconciliation of Net Profit/Loss for the quarter ended June 30, 2017 reported under IGAAP to IND AS.

(Rs. In Lakhs)

Particulars	Quarter ended 30th June, 2017
Profit after tax as per Indian GAAP	(1011.47)
Other Comprehensive Income	0
Other Adjustments	0
Total IND AS adjustments	0
Profit after tax as per IND AS	(1011.47)

13) #- Exceptional and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit/Loss in accordance with AS Rules as applicable.

For and on behalf of Board of Directors of
SITA SHREE FOOD PRODUCTS LIMITED
Sd/-
Dinesh Agrawal
Chairman cum Director
DIN : 00348853

Place : Indore
Date : August 14, 2017

CHANGE OF NAME

I, Aasim S/o Mohammad Shoaib born on 03/02/1994 residing at 17/2 Chandra Shekhar Azad Chowk Barnagar Dist. Ujjain M.P., have changed my name to Mohammad Aasim vide affidavit dated 03/08/2017 at Indore.

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि विवाह पूर्व में , मैं विमला कुमारी जैन के नाम से जानी जाती थी तथा विवाह पश्चात मैं विमला जैन के नाम से (सभी आवश्यक दस्तावेजों में) जानी जाती हूँ। अतः भविष्य में मुझे मेरे परिवर्तित नाम विमला जैन से ही जाना एवं पहचाना जावें।

श्रीमती विमला जैन पति शशिकान्त जैन
998, सुदामा नगर मेनरोड, फूटीकोठी चौराहा, रिलायंस फ्रेश के सामने, इन्दौर (म.प्र.)

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण, भोपाल
(भू-तल 'बी' विंग, विंध्याचल भवन, भोपाल)
प्रत्यर्थी/अनावेदक को अपील/विविध मामलों की सुनवाई के लिए नियत दिनांक की
सूचना
विनियम-09(2)
द्वितीय अपील/पुनरीक्षण/पुनर्विलोकन/विविध मामला क्रमांक- SA- 51/16 **पक्षकारों के नाम**
...अपीलार्थी
वेदमाता गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, इंदौर
न्यायालय के आदेश दि. 20.08.15 न्यायालय संयुक्त पंजीयक संस्थायें इंदौर संभाग इंदौर मामला क्रं .-78-80/ द्वितीय अपील पंजीबद्ध-
...प्रत्यर्थी
न्यू माडर्न गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या. इंदौर
पता- 9/15, महेश नगर, इंदौर
पंजीयन क्रमांक- डी.आर.डी.आर./83
दिनांक 20.01.1998 द्वारा-अध्यक्ष

आपको सूचित किया जाता है कि उपरोक्त अपीलार्थी/याचिकाकर्ता द्वारा उपरोक्त उल्लेखित आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है और जो इस अधिकरण में क्रमांक SA-51/16 पर पंजीबद्ध की गई है और यह कि दि. 13.9.17 को समय प्रातः 10.30 तक को नियत किया गया है. यदि आपके द्वारा आपकी ओर से आपका अधिवक्ता या आपकी ओर से कार्य करने के लिए विधि द्वारा अधिकृत व्यक्ति उपस्थित नहीं होता है तो इसकी सुनवाई एवं इसका विनिश्चय आपकी अनुपस्थिति में कर दिया जाएगा. यह सूचना आज दि. 11.8.2017 को मेरे हस्ताक्षर और अधिकरण की मुद्रा से दी गई.

अधिकरण के आदेश से
रजिस्ट्रार,
म.प्र. राज्य सहकारी अधिकरण, भोपाल

आवास फाईनेंसियर्स लिमिटेड

Aavas Financiers Ltd — SAPNE AAPKE, SAATH HAMAARA

(पूर्व में ''ए यू हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड'' के नाम से ज्ञात) (CIN: U65922RJ2011PLC034297)
पंजीकृत एवं निगमित कार्यालय : 201-202, द्वितीय मंजिल, साउथ एंड स्क्वेयर, मानसरोवर इंडस्ट्रीयल एरिया, जयपुर

सिक्युरिटाईजेशन एक्ट 2002 धारा 13 (2) के अंतर्गत मांग सूचना

कम्पनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निम्न सूची के अनुसार ऋणी का खाता एन.पी.ए. होने के कारण निम्न तालिका के अनुसार ''वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002'' की धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिन का नोटिस दिया गया था। नोटिस के अनुसार यदि ऋणी/गारण्टर 60 दिवस के अंदर बकाया ऋण राशी जमा नहीं कराते है तो ऋण की वसूली बंधक सम्पत्ति को निलाम करके की जायेगी। डिमाण्ड नोटिस की तामील ना होने के कारण नोटिस की छायाप्रति बंधक संपत्ति पर चस्पा की जा चुकी हैं। अतः आपको यह सूचित किया जाता है कि नोटिस प्रकाशित दिनांक से 60 दिन के अंदर-अंदर निम्न तालिका के अनुसार रूपया तथा भविष्य का ब्याज, वसूली में होने वाला खर्चा जमा कराये अन्यथा एक्ट की धारा 13(4) एवं 14 के प्रावधानों के अन्तर्गत निम्न सूची के अनुसार साम्यिक बंधक सम्पत्ति का भौतिक कब्जा लेने एवं इसे नीलाम कर ऋण राशि वसूली कराने के लिए प्राधिकृत अधिकारी स्वतंत्र होंगे।

क्रं.	ऋणी/जमानतदार/बंधककर्ता का नाम	धारा 13(2) के अंतर्गत नोटिस की दिनांक व राशि	बंधक संपत्ति का विवरण
1.	श्री अर्जुन गोयल (ऋणी) श्रीमती लीला बाई (सह-ऋणी) श्री हरिराम गोयल (सह-ऋणी) श्री प्रकाश दास (जमानतदार) खाता सं. LNIDR00615-160020860	12-08-2017 ₹ 5,35,254/- दि. 09 अगस्त 2017 को	मकान नं. 15/1, पटवारी हल्का नं. 35, ग्राम हंसा खेडी, ग्राम पंचायत खामोद अनजाना, तेह. सांवेर, जिला-इन्दौर, मध्यप्रदेश, क्षेत्रफल : 10500 वर्गफीट
2.	श्री बालू राम कुमावत (ऋणी) श्रीमती काला (सह-ऋणी) श्री राम दयाल (जमानतदार) खाता सं. LNMAN00614-150011835	13-08-2017 ₹ 2,84,718/- दि. 12 अगस्त 2017 को	पटवारी हल्का नं. 34, पट्टा नं.-95, वार्ड नं. 4, ग्राम पंचायत लोदा, तेह.-मंदसौर, जिला-मंदसौर, मध्यप्रदेश, क्षेत्रफल : 1350 वर्गफीट
3.	श्री बालू सिंह (ऋणी), श्रीमती सुगन बाई (सह-ऋणी) श्री राम सिंह (सह-ऋणी) श्री सत्यनारायण (जमानतदार) खाता सं. LNUJJ00615-160021233	13-08-2017 ₹ 5,55,566/- दि. 12 अगस्त 2017 को	पटवारी हल्का नं. 48/107, खसरा नं.115, वार्ड नं. 08, मकान नं. 100, ग्राम पंचायत-काला पिपलिया, तेह-महिदंपूर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश, क्षेत्रफल : 2250 वर्गफीट
4.	श्री भीम सिंह शक्तावत (ऋणी) श्री लाल सिंह (सह-ऋणी) श्रीमती विष्णु कंवर (सह-ऋणी) श्री धनराज ओड (जमानतदार) खाता सं. LNNMU00616-170033470	12-08-2017 ₹ 3,13,672/- दि. 9 अगस्त 2017 को	वार्ड नं.13, प. ह. नं.21, ग्राम चलदु, तेह. जिरन, जिला निमच, मध्यप्रदेश क्षेत्रफल : 1200 वर्गफीट
5.	श्री भेरु लाल (ऋणी) श्रीमती धापू बाई (सह-ऋणी) श्री बाबू लाल (जमानतदार) खाता सं. LNMAN00614-150011060	13-08-2017 ₹ 3,77,848/- दि. 10 अगस्त 2017 को	पट्टा नं.261, ग्राम पालदी तेहसील-मंदसौर जिला-मंदसौर,(म.प्र.) क्षेत्रफल : 912 वर्गफीट
6.	श्री दरियाव सिंह (ऋणी) श्रीमती सीता बाई (सह-ऋणी) श्री दीपक पटेल (सह-ऋणी), श्री गोपाल (जमानतदार) खाता सं. LNIDR00614-150008219	13-08-2017 ₹ 7,43,414/- दि. 10 अगस्त 2017 को	प्लाट नं-214, लोधी मोहल्ला, वार्ड नं.12 पीथमपूर तेहसील-धार, जिला-धार,(म.प्र.) क्षेत्रफल : 900 वर्गफीट
7.	श्री लखन सिंह (ऋणी) श्रीमती अनिता (सह-ऋणी) श्री सत्यनारायण (जमानतदार) खाता सं. LNIDR00615-160025087	12-08-2017 ₹ 4,34,288/- दि. 10 अगस्त 2017 को	मकान नं.140, वार्ड नं. 12, पटवारी हल्का नं. 42, ग्राम नौगॉवा सर्फ, ग्राम पंचायत शाहापूरा, तेहसील देपालपूर, इन्दौर,(म.प्र.) क्षेत्रफल : 858 वर्गफीट
8.	श्री लाल सिंह (ऋणी), श्रीमती विष्णु कंवर (सह-ऋणी) श्री राया सिंह (सह-ऋणी) श्रीमती सूरज बाई मेघवाल (जमानतदार) खाता सं. LNNMU00615-160019927	12-08-2017 ₹ 4,17,003/- दि. 08 अगस्त 2017 को	हल्का नं.-21, वार्ड नं.-11, मकान नं. 253, ग्राम पंचायत-चालदु, तेहसील-जिरन जिला-नीमच (म.प्र.) क्षेत्रफल : 2875 वर्गफीट
9.	श्री रायसिंह राजपूत (ऋणी) श्रीमती लाल कंवर (सह-ऋणी) श्री राहूल सिंह एवं श्री मंगल सिंह (सह-ऋणी) श्री कैलाश (जमानतदार) खाता सं. LNNMU00615-160018985	12-08-2017 ₹ 3,35,768/- दि. 12 अगस्त 2017 को	प ह नं.-41, नया मालाहेडा, ग्राम पंचायत-जूना, मनासा, जिला-नीमच, मध्य प्रदेश क्षेत्रफल : 3500 वर्गफीट
10.	श्री राम दयाल बैरागी (ऋणी) श्रीमती सावीत्री बाई बैरागी (सह-ऋणी) श्री बालू राम कूमावत (जमानतदार) खाता सं. LNMAN00614-150011836 & LNMAN02515-160024828	12-08-2017 ₹ 3,04,760/- एवं 95,217/- दि. 12 अगस्त 2017 को	पटवारी हल्का नं.-46, मकान नं.78, ग्राम-पीपलकून्ता, तेहसील-मंदसौर जिला-मंदसौर,(म.प्र.) क्षेत्रफल : 1500 वर्गफीट
11.	श्री सूरेश मेघवाल (ऋणी) श्रीमती सूरज बाई (सह-ऋणी) श्री भैरु लाल (सह-ऋणी), श्री लाल सिंह (जमानतदार) खाता सं. LNNMU00616-170027647	12-08-2017 ₹ 3,26,340/- दि. 10 अगस्त 2017 को	प ह नं. 21, वार्ड नं.9, मकान नं.14, ग्राम-चलादू, तेहसील-जिरन जिला- नीमच, (म.प्र.) क्षेत्रफल : 798 वर्गफीट
12.	श्री विजय सिंह जाट (ऋणी) श्रीमती रानी जाट (सह-ऋणी) श्री अजय जाट (सह-ऋणी) खाता सं. LNIDR00615-160021800	12-08-2017 ₹ 1,44,087/- दि. 10 अगस्त 2017 को	मकान नं. 51, वार्ड नं.7, पटवारी हल्का नं. , ग्राम शेरपूर, तेह. महू, जिला-इन्दौर, मध्य प्रदेश क्षेत्रफल : 2025 वर्गफीट
13.	श्री विक्रम सिंह (ऋणी), श्रीमती विष्णु (सह-ऋणी) श्री प्रमोद मीणा (जमानतदार) खाता सं. LNUJJ02215-160027152	12-08-2017 ₹ 7,67,335/- दि. 10 अगस्त 2017 को	प्लाट नं. 126 का भाग (नं54) सर्वे नं. 1114/2, भूवनेश्वर कॉलोनी, नगारकोट मंदिर के पास, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश क्षेत्रफल : 28.88 वर्ग मीटर
14	श्री विक्रम सिंह सौंधिया (ऋणी) श्रीमती अमृत कंवर बाई (सह-ऋणी) श्री नारायण सिंह सौंधिया (जमानतदार) खाता सं. LNMAN00614-150014213	12-08-2017 ₹ 3,25,342/- दि. 10 अगस्त 2017 को	पटवारी हल्का नं.-31, वार्ड नं.-02, मकान नं. 14, ग्राम - चानपाखेडी, तेहसील - सौवासरा, जिला-मंदसौर, (म. प्र.) क्षेत्रफल : 2379 वर्गफीट
15	श्री विष्णू लाल (ऋणी) श्रीमती सुशीला टेलर (सह-ऋणी) श्री मांगी लाल (जमानतदार) खाता सं. LNMAN00614-150011614	12-08-2017 ₹ 3,28,125/- दि. 08 अगस्त 2017 को	पटवारी हल्का नं.-79, ग्राम-कूचदूद, तेहसील एवं जिला-मंदसौर (म. प्र.) क्षेत्रफल : 242 वर्गफीट
16	श्री दया राम आचार्य (ऋणी) श्रीमती पार्वती आचार्य (सह-ऋणी) श्री शंकर लाल मौर्य (जमानतदार) खाता सं. LNIDR02216-170033687	19-07-2017 ₹ 18,88,076/- दि. 19 जूलाई 2017 को	238, सांवरीया नगर, छोटा बागड़दा रोड़, इन्दौर, म. प्र. क्षेत्रफल : 800 वर्गफीट

स्थान : इन्दौर, दिनांक : 17.08.2017 — प्राधिकृत अधिकारी - आवास फाईनेंसियर्स लिमिटेड